प्रेस विज्ञप्ति
12-05-2026

प्रवर्तन निदेशालय, भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक किशन मोदी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष 11.05.2026 को अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है। आरोपियों को विधिवत सूचित कर दिया गया था और माननीय विशेष न्यायालय ने पूर्व-संज्ञान सुनवाई के बाद पीसी का संज्ञान लिया।

यह मामला दूध उत्पादों में बड़े पैमाने पर मिलावट से संबंधित है, जिससे समाज व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। इस मामले में की गई कार्रवाई डेयरी उत्पादों से संबंधित संगठित मिलावट और धोखाधड़ीपूर्ण निर्यात गतिविधियों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण सफलता है। ईडी ने भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन और भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला कि मिल्क मैजिक ब्रांड नाम से डेयरी उत्पादों का कारोबार करने वाली जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूध की वसा में ताड़ के तेल और अन्य पदार्थों की मिलावट करके बड़े पैमाने पर उत्पादों में मिलावट कर रही थी। ये मिलावटी उत्पाद घरेलू बाज़ारों में बेचे जाने के साथ-साथ विदेशी बाज़ारों में भी निर्यात किए जाते थे। निर्यात को सुगम बनाने के लिए, निर्यात निरीक्षण एजेंसी के समक्ष प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की जाली परीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं ताकि निर्यात की मंजूरी प्राप्त की जा सके। संबंधित प्रयोगशालाओं से सत्यापन करने पर पुष्टि हुई कि ऐसी कई रिपोर्टें जाली थीं।

आगे की जांच में पता चला कि इन जाली रिपोर्टों के आधार पर कंपनी ने मिलावटी दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया और लगभग 19.69 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की, जिसे उसके बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था।

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इन रकमों को "अपराध से प्राप्त आय" के रूप में चिह्नित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले इस मामले में अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के प्रबंध निदेशक किशन मोदी और तत्कालीन सीईओ सुनील त्रिपाठी को क्रमशः 13.03.2026 और 20.04.2026 को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सुनील त्रिपाठी और कंपनी के अन्य प्रमुख कर्मचारियों के संबंध में जांच जारी है।